माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 8 सितम्बर, 2021 को परिसंचरण के द्वारा आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिनांक 11.03.2020 को **कोविड–19** को महामारी धोषित किया। मार्च 2020 में इसके प्रकोप के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सरकार द्वारा तालाबंदी धोषित की गई थी और ICMR के द्वारा कोविड के मानदंड निर्धारित किए गए थे और सभी को **मास्क लगाने** और **सामाजिक दूरी** का पालन करने के लिए कहा गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे भारत की जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के मुददे पर विचार किया जिससे कि जेलों के अंदर **सामाजिक दूरी** का एक प्रोटोकॉल को बनाए रखा जा सके। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस शीर्षक ***"SuoMotoPetition(Civil)No.1/2020–InRe:ContagionCOVID-19"*** के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया। **जेलों में भीड़भाड़** को कम करने के उददेश्य को प्राप्त करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक **23.03.2020** के आदेश के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को अंतरिम जमानत/पैरोल पर रिहा किए जा सकने वाले कैदियों के मानदंड/श्रेणी निर्धारित करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन करने का निर्देश दिया था।

इस समिति ने वर्ष 2020 में हुई विभिन्न बैठकों में चरणबद्ध तरीके से कई मानदंड निर्धारित किए थे। उन मानदंडों का अनुसरण करते हुए पिछले वर्ष **5124 कैदी** अंतरिम जमानत/पैरोल पर रिहा किए गए थे। जिसके परिणाम स्वरूप जेलों में भीड़भाड़ कम हुई। **कोविड–19** की स्थिति में सुधार होने के पश्चात इस समिति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केस शीर्षक ***National Forum on Prison Reforms Vs. Government of NCT of Delhi & Ors."*** bearing ***"Special Leave to Appeal (C)No.13021/2021"*** दिनांक **01.03.2021** के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार रिहा किए गए कैदियों से आत्मसमर्पण करने का आहवान किया गया था।

भारत कोविड–19 की पहली लहर के दौरान वायरस के पूर्ण प्रकोप से बच गया परंतु महामारी की दूसरी लहर अत्यंत घातक सिद्ध हुई और उसमें भारत बुरी तरह से फंस गया। कोविड–19 के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए और कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रकोप को कम करने के साथ–2 भीड़भाड़ वाली जेलों की आबादी को कम करने के लिए भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 07.05.2021 के आदेश

में उग्र महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चाधिकार प्राप्त समितियों को नई रिहाई पर विचार करने के साथ –2 उन सब कैदियों को जिन्हें पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2020 के निर्देशानुसार रिहा किया गया था, तत्काल रिहा करने के आदेश दिया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों और आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान अंतरिम जमानत/पैरोल पर रिहा किए जाने के लिए जो मानदंडों निर्धारित किए गए थे उन्ही मानदंडों को इस समिति ने अपनी दिनांक 04.05.2021 और 11.05.2021 की बैठकों मे अपनाया।

इस प्रकार निर्धारित मानदंडों के आधार पर कैदियों की ओर से जिला न्यायालयों के साथ –2 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अनेक जमानत आवेदन दायर किए गए और तदानुसार उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया।

सदस्य सचिव, DSLSA को दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रहमण्यम प्रसाद के केस शीर्षक ***"Manish Kumar @ Manny Vs. The State"*** bearing ***"Bail Application No.2112/2021"*** and ***"Ajit Vs. The State of NCT of Delhi"*** bearing ***"Bail Application No. 2709/2021"*** दिनांक 24.08.2021 के आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई/ अनुपालन हेतु प्राप्त हुई है जो कि अनुलग्लक ए के रूप में संलग्न है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामले में दिनांक 24.8.2021 को पारित उक्त आदेश में यह देखा गया है कि माननीय उच्च न्यायलयों की विभिन्न पीठों ने अपराधों विशेषकर **फिरौती के लिए अपहरण, लूटपाट और डकैती** आदि के संबंध में अलग–2 विचार रखें है।

तदानुसार माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.08.2021 के अपने आदेश में जो कहा वह इस प्रकार हैः

"आगे परस्पर विरोधी आदेशों से बचने के लिए कोर्ट यह उचित समझती है कि धारा 364 ए, 394, 397 आईपीसी आदि के तहत आने वाले अपराधों के लिए विचाराधीन मामलों में अंतरिम जमानत प्रदान करने वाली बेंचों के उचित मार्ग दर्शन और स्पष्टीकरण हेतु उसे उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखना उचित है।"

इसे ध्यान में रखते हुए इस समिति के लिए यह आवश्यक है कि वह इस समिति द्वारा दिनांक 04.05.2021 और 11.05.2021 की बैठकों में निर्धारित मानदंडों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2021 के आदेश में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए और प्रभावी स्पष्टीकरण देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केस शीर्षक ***Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19,*** दिनांक 23.03.2020 के आदेश को संदर्भित करना प्रासंगिक है जिसके तहत उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। जिसे निम्नानुसार पढ़ा गया:

"हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश एक उच्चाधिकार समिति का गठन करेगा जिसमें शामिल होंगे (1)राज्य विधिक सेवाएं समिति के अध्यक्ष (2) प्रधान सचिव (गृह/जेल), जो भी पदनाम के रूप में जाना जाता है (3) महानिदेशक (जेल), यह निर्धारित करने के लिए कि किस श्रेणी के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर किस अवधि के लिए रिहा किया जा सकता है, जो कि उचित हो। जैसे कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश उन कैदियों को रिहा करने पर विचार करतें हैं जो कि अपराधी या अपराधों के लिए विचाराधीन है, जिनके लिए निर्धारित दंड 7 साल या उससे कम है, दंड के साथ या दंड के बिना और कैदी

अधिकतम के स्थान पर न्यूनतम वर्षों के लिए अपराधी ठहराया हुआ है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह हम उच्चाधिकार समिति पर छोड़ देते है कि वह वर्ग/श्रेणी के कैदियों पर विचार करे, कि किसे छोड़ा जाना है जैसा कि ऊपर कहा गया है, ***अपराध की प्रकृति, सजा के वर्ष, जिसके लिए उसे सजा दी गई है अथवा अपराध की गंभीरता, जिसका उस पर आरोप लगा है और वह मुकदमे का सामना कर रहा/रही है अथवा अन्य कोई उचित कारण जिसे समिति उचित समझती है।***"*

(emphasis supplied)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त याचिका को निरस्त करते हुए इसके बाद के दिनांक 13.04.2020 के आदेश में उनके पहले के आदेश को स्पष्ट किया जो इस प्रकार है:

"हम स्पष्ट करतें हैं कि हम *राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को अनिवार्य रूप से कैदियों को उनकी जेलों से रिहा करने का निर्देश नही दे रहें हैं। उपरोक्त आदेश में हमारा उद्देश्य यह सुनिशचित करने का था कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश इस समय देश में फैली महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जेलों की स्थिति का आकलन करें और कुछ कैदियों को रिहा करें इस उद्देश्य के लिए वह रिहा किए जाने वाले कैदियों के वर्गीकरण पर विचार करे।"*

हम यह स्पष्ट करतें हैं कि उपरोक्त आदेश का पालन अक्षरतः न करके उसके पीछे छिपी भावना के अनुसार करना है "

(emphasis supplied)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने **दिनांक 23.3.2020** में दी गई टिप्पणियों/निर्देशों को अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि **यह आंकने के लिए उच्चाधिकार समिति को पूर्ण अधिकार है कि कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को अंतरिम**

जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य कोई **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के **दिनांक 13.04.2020** को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनिवार्य रूप से कैदियों को उनकी जेलों से रिहा किए जाने का निर्देश नही दिया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 07.05.2021 के आदेश में इस पर विचार किया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समिति को निर्देश दिया कि नए कैदियों को रिहा किए जाने पर विचार करने के साथ–2 वे सभी कैदी जिन्हें पहले रिहा किया गया था उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।

इस प्रकार कोई भी कैदी चाहे वह किसी भी वर्ग/श्रेणी का क्यों न हो वह इसमें आता है और उसके अपराध की प्रकृति जो भी है जिसके लिए वह मुकदमें का सामना कर रहा है वह जेल से रिहा होने के लिए **अधिकार के रूप में उसकी मांग/दावा नही कर सकता।**

इस समिति ने वर्ष 2020 की बैठकों में अपने निर्णय पर पहुंचने के साथ–2 इस वर्ष दिनांक 04.05.2021 और 11.05.2021 में अभिलिखित मानदंड तय करने के दौरान अंतरिम जमानत पर कैदियों की श्रेणियों को जारी रखने के साथ, दिल्ली की जेलों की धारण क्षमता, बैठकों की तारीखो तक मौजूद क्षमता और अपराध की प्रकृति जिसके लिए कैदी जेल में बंद थें, को ध्यान में रखा था। समिति ने अपराध की प्रकृति के आधार पर कैदियों की श्रेणी/वर्ग, जिसके लिए वे जेल में हैं उन्हें अंतरिम जमानत/पैरोल देने, जैसा भी केस हो, के विषय में विचार विमर्श किया। समिति कुछ विशेष प्रकृति के मामले जैसे विशेष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसों जैसे कि पोकसो, मकोका, पीसी एक्ट, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए, आतंक से संबंधित मामले, दंगे, धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के मामलों के अतिरिक्त *CBI / ED / NIA /* दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, अपराध शाखा और एसएफआइओ द्वारा जांचे जा रहे मामलों को भी **अंतरिम जमानत** पर रिहा करने के **विचार क्षेत्र से बाहर** रखा गया। समिति द्वारा उक्त निर्णय केवल **संबंधित कारको** पर विचार करने के पश्चात और **उद्देश्य संतुष्टि** के आधार पर लिया गया। मानदंड को अपराध के वर्ग/श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया था न कि वह एक विशेष कैदी केंद्रित दृष्टिकोण था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के उद्देश्य से कैदियों का एक उचित वर्गीकरण करना जिसके आधार पर कुछ कैदियों को रिहा किया

जाए सभी कैदियों को नही। हालांकि समिति किसी व्यक्तिगत केस को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के लिए उसकी योग्यता या अयोग्यता पर विचार करने के लिए नही बनाई गई थी।

महामारी की दूसरी लहर की आकस्मिक स्थिति के कारण वर्ष 2020 में अनुशंसित सभी मानदंड चरणबद्ध रूप से दिनांक 04.05.2021 और 11.05.2021 की बैठकों के कार्यवृत्त में एक बार में अपनाए गए थे। तदानुसार कार्यवृत्त में अब वे सभी श्रेणियां शामिल हैं जिन पर समिति द्वारा वर्ष 2020 में आयोजित अपनी बैठकों में विचार किया गया और अपनाया गया।

यह स्पष्ट है कि इस प्रकार अपनाए गए मानदंड में उन कैदियों को शामिल किया गया था जो एक अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहे थे, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और जो कई मामलों में शामिल नही हैं। यह मानदंड उन कैदियों के संबंध में प्रतिबंधित था जो एचआईवी, कैंसर, क्रोनिक किडनी डिसफंक्शन, (यूटीपी को डायलिसिस की आवश्यकता) हेपेटाइटिस बी या सी, अस्थमा और टीबी से पीड़ित थे।

अन्य कैदी जो एक मामले में मुकदमें का सामना कर रहे थे जिसमें 10 साल से अधिक की सजा से आजीवन कारावास तक का प्रावधान था। उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए अनुशंसित श्रेणियों में सम्मिलित नही किया गया था सिवाय उसके जो कि इस प्रकार निर्धारित मानदंडों में **उल्लिखित निर्दिष्ट अपराधों** में भी सम्मिलित था।

इस प्रकार केवल इसीलिए कि निर्दिष्ट अपराध जैसे कि धारा 302 आईपीसी जैसे अपराधों को अंतरिम जमानत देने के लिए अनुशंसित मामलों के वर्ग/श्रेणी में शामिल किया गया था। इसका मतलब यह नही है कि इसमें डकैती, लूटपाट और फिरौती के लिए अपहरण आदि मामले भी सम्मिलित थे। ऐसे मामलों को जानबूझकर बाहर रखा गया था।

ऐसा कहकर और यह विचार करते हुए कि इस प्रकार के अपराध, जिनमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, के मानदंड निर्धारित करते समय वर्ग/श्रेणी में प्रथम स्थान पर शामिल नही किया गया था तो इन अपराधों को बहिष्करण खंड में डालने का कोई सवाल ही नही उठता।

पिछले वर्ष हुई बैठकों के दौरान इस समिति द्वारा दिनांक 31.07.2021 को हुई बैठक में भी इस तरह के स्पष्टीकरण जारी किए गए थे।

आयोजित विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए, सर्वसम्मति से हल किया जाता है और स्पष्ट किया जाता है कि डकैती, लूटपाट और फिरौती के लिए अपहरण आदि जैसे अपराध इस समिति द्वारा दिनांक 04.05.2021 और 11.05.2021 की बैठक में निर्धारित मानदंडों में शामिल नही हैं।

हालांकि यह दोहराया जाता है कि जिन कैदियों के मामले इस समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों में शामिल नही हैं वे अभी भी संबंधित न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं जिसे दायर किए जाने पर संबंधित अदालतों द्वारा योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है।

बैठक के कार्यवृत्त दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली जिला न्यायालयों और दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। इसे **Bail Application No.2112/2021** से निपटने वाले न्यायालय के समक्ष रखने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को भी भेजा जाए।

राकेश अस्थाना **पुलिस आयुक्त** **दिल्ली**	**श्री बी.एस. भल्ला** **प्रधान सचिव (गृह)**	**संदीप गोयल** **महानिदेशक (जेल)**	**कंवलजीत अरोड़ा** **सदस्य सचिव** **डीएसएलएसए**

माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी,
कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

.....

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 08.09.2021 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक
डीएसएलएसए